संख्या– 5967/9–आ–1–99/72 बैठक/1998

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग –1 लखनऊ दिनाँक : 30 नवम्बर, 1999

विषय :विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी व्यावसायिक–अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4872/9–आ–1–99/72 बैठक/1998, दिनाँक – 04.11.1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह विर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निर्धारित/आंकलित मूल्य से दोगुने मूल्य पर व्यावसायिक सम्पत्तियों का भी निस्तारण किया जाय।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–5967(1)/9–आ–1–99, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।